Office : 2545066
Secy : 2545251 (Fax)
Secy. Resi. : 0291-2701162

THE BAR COUNCIL OF RAJASTHAN

HIGH COURT BUILDINGS
JODHPUR – 342001
e-mail : Secretary @ barcouncilofrajasthan.org
website: www.barcouncilofrajasthan.org

Ref. No.BCR/Sec./BA/Ju/2019/ 1751 दिनांक 26.02.2019

श्रीमान अध्यक्ष / सचिव महोदय
राज्य के समस्त जिला बार संघ

विषय : राजस्थान अधिवक्ता कल्याण कोष में बकाया आंशदान जमा करवाने एवं सदस्यता हेतु शिविर लगाने बाबत्।

मान्यवर जी,

बार कौंसिल ऑफ राजस्थान की साधारण सभा की बैठक दिनांक 23 फरवरी, 2019 को आयोजित हुई, जिसमें राजस्थान अधिवक्ता कल्याण कोष अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने के प्रस्ताव पारित किये गये। तत्पश्चात, प्रदेश भर से अधिवक्ताओं द्वारा अधिवक्ता कल्याण कोष में बकाया अंशदान जमा कराने व सदस्यता लेने हेतु इस कार्यालय में लगातार पूछताछ की जा रही है।

माननीय श्री चिरंजीलाल सैनी, अध्यक्ष, बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के निर्देशानुसार आपको यह सूचित किया जाता है कि अधिवक्तओं के हितों को ध्यान में रखते हुए एवं उनकी सुविधा हेतु राजस्थान अधिवक्ता कल्याण कोष में बकाया अंशदान जमा करने एवं नई सदस्यता हेतु शुल्क जमा करने हेतु आपकी बार संघ में एक दिन के शिविर का आयोजन करवाने हेतु आपकी बार संघ इच्छुक है, तो बार कौंसिल ऑफ राजस्थान एक दिवसीय शिविर का आयोजन करने को तैयार है।

अतः आपसे निवेदन है कि आपकी बार संघ, राजस्थान अधिवक्ता कल्याण कोष में बकाया अंशदान जमा करने एवं नई सदस्यता हेतु शुल्क जमा करने हेतु एक दिवसीय शिविर का आयोजन करवाना चाहती है, तो अतिशीघ्र इस कार्यालय को सूचित करावें, ताकि शिविर की दिनांक व समय निश्चित किया जा सके।

भवदीय,

(राजेन्द्रपाल मलिक)
सचिव